संख्या ए. 36011/1/2009-प्रशा.-I

भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

पांचवां तल, 'ए' विंग, शास्त्री भवन,
नई दिल्ली, दिनांक 27 फरवरी, 2015

आदेश

राष्ट्रपति, वित्त मंत्रालय द्वारा दिनांक 10.04.1975 के कार्यालय ज्ञापन संख्या एफ.10(13)-ई(कंपनीज)/75 तथा दिनांक 30.05.2008 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 1/7/ई-II(क)/2008 द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसरण में, कारपोरेट कार्य मंत्रालय के मुख्यालय और संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों के निर्दिष्ट 'विभागाध्यक्षों' और 'कार्यालयाध्यक्षों' को दिनांक 11.12.2012 और दिनांक 05.06.2013 के समसंख्यक आदेशों के साथ पठित दिनांक 25.05.2011 के समसंख्यक आदेश के अंतर्गत प्रदत्त वित्तीय अधिकारों को निम्नलिखित सीमा तक संशोधित करते हैं:

मुख्यालय

व्यय	कार्यालय	मद	संशोधित सीमा
आकस्मिक व्यय (अनुसूची V)	निदेशक/उप सचिव (सामान्य)	आवर्ती	पूर्ण अधिकार और विभागाध्यक्ष के रूप में घोषित
		अनावर्ती	प्रत्येक मामले में 25 लाख रुपए
	कार्यालयाध्यक्ष/ अवर सचिव (सामान्य)	आवर्ती	प्रत्येक मामले में 6500/- रुपए प्रतिमाह
		अनावर्ती	प्रत्येक मामले में 12,500/- रुपए
विविध व्यय (अनुसूची VI)	निदेशक/उप सचिव (सामान्य)	आवर्ती	पूर्ण अधिकार और विभागाध्यक्ष के रूप में घोषित
		अनावर्ती	प्रत्येक मामले में 12.5 लाख रुपए
प्राइवेट वाहन किराए पर लेना (अनुसूची V की मद 2(ii))	निदेशक/उप सचिव (सामान्य)		45 लाख रुपए प्रतिवर्ष और प्रत्येक मामले में 6 लाख रुपए

संबद्ध/फील्ड कार्यालय

व्यय	कार्यालय	मद	संशोधित सीमा
आकस्मिक व्यय (अनुसूची V)	प्रादेशिक निदेशक/रजिस्ट्रार, प्रतिस्पर्धी अपील अधिकरण/सचिव, भारतीय प्रतिस्पर्धी आयोग/कंपनी विधि बोर्ड की मुंबई, कोलकाता और चैन्नई खंडपीठों के सदस्य/सचिव, कंपनी विधि बोर्ड की प्रधान खंडपीठ	आवर्ती	पूर्ण अधिकार और विभागाध्यक्ष के रूप में घोषित
		अनावर्ती	प्रत्येक मामले में 1.25 लाख रुपए
आकस्मिक व्यय (अनुसूची V)	कंपनी रजिस्ट्रार/शासकीय समापक	आवर्ती	प्रत्येक मामले में 32,000/- रुपए प्रतिवर्ष
		अनावर्ती	प्रत्येक मामले में 75,000/- रुपए प्रतिवर्ष
विविध व्यय (अनुसूची VI)	प्रादेशिक निदेशक/रजिस्ट्रार, प्रतिस्पर्धी अपील अधिकरण/सचिव, भारतीय प्रतिस्पर्धी आयोग/कंपनी विधि बोर्ड की मुंबई, कोलकाता और चैन्नई खंडपीठों के सदस्य/सचिव,	आवर्ती	प्रत्येक मामले में 6.25 लाख रुपए
		अनावर्ती	प्रत्येक मामले में 1.25 लाख रुपए

	कंपनी विधि बोर्ड की प्रधान खंडपीठ		
प्राइवेट वाहन किराए पर लेना (अनुसूची V की मद 2(ii))	रजिस्ट्रार, प्रतिस्पर्धी अपील अधिकरण/सचिव, भारतीय प्रतिस्पर्धी आयोग/कंपनी विधि बोर्ड की मुंबई, कोलकाता और चैन्नई खंडपीठों के सदस्य/सचिव, कंपनी विधि बोर्ड की प्रधान खंडपीठ		4 लाख रुपए प्रतिवर्ष
	प्रादेशिक निदेशक		अधिकतम दो वाहनों के लिए प्रति वाहन 5 लाख रुपए प्रतिवर्ष बशर्ते कि कोई स्टॉफ कार/अन्य वाहन उपलब्ध न हो/व्यवस्था न हो/प्रयोग में लाने योग्य न हो
	कंपनी रजिस्ट्रार दिल्ली, हैदराबाद, बंगलुरु, चैन्नई और कोलकाता		प्रति वाहन 4 लाख रुपए प्रतिवर्ष बशर्ते कि कोई स्टॉफ कार/अन्य वाहन उपलब्ध न हो/व्यवस्था न हो/प्रयोग में लाने योग्य न हो
	शासकीय समापक मुंबई, चैन्नई और कोलकाता		
	अन्य सभी कंपनी रजिस्ट्रार और शासकीय समापक		प्रति वाहन 3.25 लाख रुपए प्रतिवर्ष बशर्ते कि कोई स्टॉफ कार/अन्य वाहन उपलब्ध न हो/व्यवस्था न हो/प्रयोग में लाने योग्य न हो

4. संबंधित अधिकारियों द्वारा वित्तीय अधिकारों की संशोधित सीमा का प्रयोग वित्त मंत्रालय द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निर्धारित नियमों और विनियमों के अनुसार तथा धनराशि उपलब्ध होने के अधीन किया जाएगा।

5. यह आदेश संयुक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा दिनांक 20.02.2015 की डायरी सं. 74 के अंतर्गत दी गई सहमति और सचिव, कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा दिनांक 26.02.2015 के डायरी सं. 396/सचिव के अंतर्गत दिए गए अनुमोदन से जारी किया जा रहा है।

(क्षितीश कुमार)
भारत सरकार के अवर सचिव
दूरभाष: 23384502

सेवा में,

1. कारपोरेट कार्य मंत्रालय में सभी अधिकारी और अनुभाग
2. वेतन एवं लेखा कार्यालय, कारपोरेट कार्य मंत्रालय
3. कारपोरेट कार्य मंत्री के निजी सचिव
4. रजिस्ट्रार, प्रतिस्पर्धी अपील अधिकरण/सचिव, भारतीय प्रतिस्पर्धी आयोग/सदस्य, कंपनी विधि बोर्ड की संबंधित खंडपीठ/सचिव, कंपनी विधि बोर्ड, प्रधानपीठ
5. सभी प्रादेशिक निदेशक/कंपनी रजिस्ट्रार/शासकीय समापक
6. ई-गवर्नेंस प्रकोष्ठ को यह आदेश वेबसाइट पर कर्मचारी कोना/वित्तीय अधिकारों का पत्यायोजन के अधीन अपलोड करने के लिए।
7. गार्ड फाइल।

(क्षितीश कुमार)
भारत सरकार के अवर सचिव

प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित:

1. संयुक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार के निजी सचिव